

आवश्यक सूचना

परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-5 में प्रस्तावित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत, एस0बी0आई0 एन्क्लेव(विस्तार) के अन्तर्गत 88 नग फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में आवास आयुक्त(म0) द्वारा 51.14% ही पंजीकरण प्राप्त होने के दृष्टिगत प्रस्तावित फेज-2 के फ्लैटों का निर्माण कार्य न कराने तथा अनुमन्य पंजीकरण धनराशि को नियमानुसार वापस किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त योजना के पंजीकृत आवेदकों की जमा धनराशि नियमानुसार आवेदकों को वापस की जायेगी।